# कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश
# कक्ष-स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.

**E-mail—pccfwl@mp.gov.in**

## स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स द्वारा की गई बडी कार्यवाही;

**अत्यंत दुर्लभ जलीय वन्यजीवों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तस्करी में शामिल 09 वर्षो से फरार दस हजार रूपये ईनामी आरोपी कानपुर उत्तरप्रदेश से गिरफ्तार**

प्रेस विज्ञप्ती (**14/26** दिनांक **09.03.2026)**

माननीय मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश के निर्देशन में प्रदेश में वन एवं वन्यजीव संरक्षण हेतु लगातार समग्र प्रयास किये जा रहे है। इसी दिशा में स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश के द्वारा आसूचना तंत्र विकसित कर प्राप्त सूचना के आधार पर दिनांक 08.03.2026 को प्रकरण में फरार आरोपी की तारकनाथ घोष पुत्र निताई घोष, उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल को कानपुर सेन्ट्रल रेल्वे स्टेशन उत्तर प्रदेश से स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश मुख्यालय भोपाल, इकाई शिवपुरी वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरों नई दिल्ली के संयुक्त दल के द्वारा गिरफ्तार किया गया।

प्रकरण में पूर्व में क्षेत्रीय इकाई भोपाल, शिवपुरी के द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुये 03 व्यक्ति से **30 Gharial babies (Gavialis gangeticus) 17 Red-crowned roofed turtle (Batagur kachuga), 19 Three-striped roofed turtle (Batagur dhongoka** जप्त कर वन अपराध प्रकरण क्रमांक 237/20 दिनांक 12.07.25 दर्ज किया गया। जिसमें आज दिनांक तक 06 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

उक्त आरोपी तारकनाथ घोष को एसटीएसएफ के द्वारा दर्ज वन अपराध प्रकरण क्रमांक 28060/02 दिनांक 05.05.2017 (**जो वर्तमान में सीबीआई को हस्तांतरित किया जा चुका है जिसकी विवेचना सीबीआई के द्वारा की जा रही है)** एवं 23546/23 दिनांक 11.08.2018 में लगभग 9 वर्षो से फरार था। जिसे पकडने हेतु एसटीएसएफ द्वारा दस हजार का ईनाम भी घोषित किया गया था। उक्त आरोपी को एसटीएसएफ हेतु अधिकृत माननीय विशेष न्यायालय शिवपुरी के समक्ष प्रस्तुत किया जाकर फॉरेस्ट रिमांड पर लेकर पूछताछ की जावेगी ताकि गिरोह के अन्य सदस्यों की जानकारी जुटाई जा सके। प्रकरण में विवेचना जारी है।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष- एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल